**Criminal Misc. Cases 190/2026**

**IN THE COURT OF**
**Addl. District Judge Court No. 2**
**AT, Unnao**
**(Presided Over by Ankita Shukla)**
**UPUN010023712026**

**Criminal Misc. Cases 190/2026**
**श्रीमती ममता.....बनाम.....चन्द्रेश कुमार मौर्य आदि।**

**दिनांक- 23.06.2026**

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

प्रार्थिनी के द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा-173(4) बी.एन.एस.एस. मे कथन किया गया है कि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति की श्रेणी में ग्रासी जाति की है तथा अभियुक्तगण पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आते है। अभियुक्तगण कृषि सम्बन्धी विभाग में विकास खण्ड बॉगरमऊ में कार्यरत थे इस कारण प्रार्थिनी के गाँव स्थित साधन सहकारी समिति में उनका आना बना रहता था। साधन सहकारी समिति के बगल में प्रार्थिनी का घर होने के कारण अध्यक्ष जी के कहने पर आने जाने वाले व्यक्तियो को चाय आदि का प्रबन्ध प्रार्थिनी करती थी जिससे अभियुक्तगण से प्रार्थिनी की जान पहचान हो गयी थी और वह प्रार्थिनी को भाभी कहने लगे तथा हँसी मजाक भी करने लगे। दिनॉक 29/03/2026 को समय करीब 11 बजे दिन उपरोक्त चन्द्रेश कुमार मौर्य व विवेक कुमार चौरसिया मोटर साइकिल से प्रार्थिनी के घर आये और प्रार्थिनी ने उन्हे कमरे में बैठाया तथा उनके लिए चाय बनाने लगी। प्रार्थिनी चाय लेकर कमरे के अन्दर पहुँची कि अभियुक्तगण की नियत में फितूर आ गया तथा प्रार्थिनी को अकेले पाकर अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए गन्दी गन्दी हरकते करने लगे और प्रार्थिनी के नाजुक अंगो का स्पर्श करते हुए बलात्कार की नियत से साड़ी खोलने लगे। प्रार्थिनी ने यह देखकर डॉटा और कहा कि यह क्या कर रहे हो तो दोनो लोगो ने कहा कि भाभी क्या इतना भी अधिकार हम लोगो को नही है। प्रार्थिनी डर गयी और शोर मचाया इस पर उक्त दोनो लोगो ने कहा कि साली पासिन नाटक करती है। प्रार्थिनी के शोर पर राम कुमार उर्फ रम्मा व रामपाल पुत्र भभूती सहित गाँव के तमाम लोग आ गये और डॉटा इस पर दोनो लोग मोटर साइकिल से भाग गये यदि गाँव वाले न आ जाते तो प्रार्थिनी की इज्जत लुट जाती। घटना की सूचना प्रार्थिनी ने थाना बेहटा मुजावर में दी तो कहा कि जाँच के बाद रिपोर्ट लिखी जायेगी और रिपोर्ट दर्ज नही की और कई दिनो तक थाने दौड़ाते रहे। थाने में कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थिनी ने घटना के बाबत दिनाँक 02/04/2026 को एक प्रार्थना पत्र पुलिस अधीक्षक महोदय उन्नाव को जरिए रजिस्ट्री प्रेषित किया परन्तु घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नही की गयी। अभियुक्तगण ने जघन्य एंव संज्ञेय अपराध कारित किया है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि सम्बन्धित थाना प्रभारी बेहटा मुजावर को निर्देशित करने की कृपा करे कि वह घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करे।

आवेदिका के द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र के साथ आवश्यक प्रपत्र दाखिल किये गये है।

**Criminal Misc. Cases 190/2026**

संबंधित थाना बेहटामुजवार से आख्या तलब की गयी। थाना की प्राप्त आख्या के अनुसार प्रा० पत्र में अंकित आरोपो के सम्बन्ध में थाना हाजा पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं आख्या का अवलोकन किया।

धारा-156(3) दं.प्र.सं. के निस्तारण के सम्बन्ध में नजीर Mrs Priyanka Srivistava and others Vs State of U.P. and others 2015 AIR SCW 2075 माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मत अभिप्रकट किया है कि मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्राधिकार के भीतर उपयुक्त मामले मे तथ्य की जाचं हेतु अधिकृत है जिसके लिए यह शपथ-पत्र लेकर कार्यवाही करेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि तथ्यों की जांच करते समय आरोप के प्रकार पर विचार किया जाये क्योंकि अधिकाश मामले वैवाहिक, परिवारिक मतभेद, वाणिज्यिक मतभेद, भ्रष्टयाचार, चिकित्सीय उपेक्षा से सम्बन्धित होते है और ऐसे मामलों को बढ़ा चढ़ाकर विधिपूर्ण तरीके से तैयार कर न्यायालय में प्रेषित किया जाता है। उपरोक्त विनिश्चय में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि प्रार्थना-पत्र मे दिये गये तथ्य की विश्वसनीयता को परखते हुए न्यायिक मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए धारा-156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थना-पत्र पर विचार करना चाहिये एवं मापदण्डों के अनुरूप ही उक्त पर आदेश पारित करना चाहिये।

विधि व्यवस्था **जोजेफ माधुरी उर्फ विशेश्वरी नन्दा आदि बनाम स्वामी सच्चिदानन्द हरिसाक्षी आदि सुप्रीम कोर्ट 2001 (Suppl.) A.C.C. पृष्ठ 951, सुरेश चन्द्र जैन-बनाम-मध्य प्रदेश राज्य ए.आई.आर. 2001 Supreme Court पेज 571, मोहम्मद युसुफ-बनाम-आफाक जहाँ व अन्य 2006 (1) एस.सी.सी.(फौज.) पेज 1460** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि धारा-156(3) दं.प्र.सं. के प्रार्थना-पत्र को परिवाद के रूप में दर्ज किया जा सकता है।

इसी संदर्भ में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **Naresh Kumar Valmiki v. State of U.P., Application under Section 482 No. 14443 of 2022 dated 17.10.2022,** wherein Division Bench of Hon. Allahabad High Court held that Exclusive Special Court or Special Court under the SC/ST Act, 1989 can treat an application under Section 156(3) of Cr.P.C., as a complaint.

इसी संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **ओम प्रकाश अम्बेडकर बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य 2025 Live law (S.C.) 139** the allegations made in the complaint are simple, where the Court can straightaway proceed to conduct the trial, the Magistrate is expected to record evidence and proceed further in the matter, instead of passing the buck to the Police under Section 156(3) of the Cr.P.C. Of course, if the allegations made in the complaint require complex and complicated investigation which cannot be undertaken without active assistance and expertise of the State machinery, it would only be appropriate for the Magistrate to direct investigation by the police authorities. The Magistrate is, therefore, not supposed to act merely as a Post Office and needs to adopt a judicial approach while considering an application seeking investigation by the Police."

**Criminal Misc. Cases 190/2026**

उपरोक्त विधि व्यवस्था के अनुक्रम में प्रार्थना-पत्र के अवलोकन से विदित है कि घटना दिनांक 29.03.2026 को समय करीब 11 बजे उपरोक्त अभियुक्तगण द्वारा प्रार्थिनी के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप लगाया गया है। आवेदिका को प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र मे अभियुक्तगण के नाम व विवरण तथा साक्षियों के साक्ष्य की भी जानकारी है। विवेचना से किसी नये तथ्य के उद्भूत होने की कोई सम्भावना नही है। अतः आवेदिका प्रार्थना-पत्र में किए गए तथ्यों के बाबत साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

प्रार्थना-पत्र में दर्शित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तुत मामले में तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज कर जाँच प्रकिया का अनुसरण करके आदेशिका पर विचार किया जाना न्यायोचित पाती है।

**<u>आदेश</u>**

प्रस्तुत प्रकरण परिवाद के रूप में दर्ज हो। तद्नुसार प्रकीर्ण वाद निस्तारित किया जाता है।

पत्रावली वास्ते बयान परिवादी अन्तर्गत धारा-223 बी.एन.एस.एस. दिनांक 18.08.2026 को पेश हो।

दि. 25.06.2026

(अंकिता शुक्ला)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. ऐक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-2